

शासकीय आईटीआई में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2013

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

| वृत्त/संस्था का नाम | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार | इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना | प्राथमिकताक्रम का पुनः निर्धारण (Re-Choice filling) | वास्तविक आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश | अप्रैडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना | अप्रैडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश |
|---------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| प्रथम चरण | 20/06/2013 से 05/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 20/06/2013 से 06/07/2013 (शाम 05:00 बजे तक) | 20/06/2013 से 06/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 21/06/2013 से 07/07/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 12/07/2013 से 19/07/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 19/07/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक) | 12/07/2013 से 19/07/2013 (शाम 05:00 बजे तक) | 25/07/2013 से 31/07/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 31/07/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक) |
| द्वितीय चरण | 05/08/2013 से 10/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 05/08/2013 से 11/08/2013 (रात्रि 12:00 बजे तक) | 16/08/2013 से 24/08/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 22/08/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक) | 16/08/2013 से 24/08/2013 (शाम 05:00 बजे तक) | 30/08/2013 से 04/09/2013 (आवंटन पत्रों का प्रिंटिंग दिनांक 02/09/2013 को दोपहर 04:30 बजे तक तथा संस्थाओं में प्रवेश प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक) |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| संस्थाओं द्वारा व्यवसायवार/श्रेणीवार/रिक्त स्थानों की जानकारी एमपी ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त करना | इंटरनल स्लाईडिंग के लिए संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना | मेरिट सूची बनाना तथा संस्था पटल पर प्रदर्शित करना | प्रवेश की कार्यवाही करना | इंटरनल स्लाईडिंग के उपरांत रिक्त स्थान वेबसाइट पर प्रदर्शित करना |
| 06/09/2013 | 09/09/2013 से 12/09/2013 | 13/09/2013 | 16/09/2013 से 18/09/2013 | 20/09/2013 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| महत्वपूर्ण: | |
| ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन:- | |
| 1. | काउंसलिंग में शामिल होने के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 35/- रजिस्ट्रेशन शुल्क, पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा। |
| 2. | द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रथम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे परन्तु उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ या जिन्होंने आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अन्य अभ्यर्थी जो प्रथम बार काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें रुपये 35/- रजिस्ट्रेशन शुल्क, पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा। |
| रजिस्ट्रेशन त्रुटि सुधार:- | |
| 1. | प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में किये गये रजिस्ट्रेशन में सुधार के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 15/- पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा। |
| ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन:- | |
| 1. | प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) के लिए देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 50/- पोर्टल शुल्क सहित, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन-रिफण्डेबल) होगा। |
| 2. | प्रथम चरण की काउंसलिंग में जिन्हें सीट आवंटित नहीं हुई है एवं उनके द्वारा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) में कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। सीट आवंटित होने के पश्चात् जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है या वे प्रथम बार प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice filling) की कार्यवाही कर रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकताक्रम चयन शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा। |
| अपग्रेडेशन:- | |
| | |